



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

इवत ह्याम वगैरे वनाम धनेवत डफे धनेजय मस्तो वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
06-12-17	<p>अभिलेख सं०-एम.....163.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-...44/17 दिनांक-...16-11-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि बुण्डू थाना कोड सं० 73/17 दिनांक 9/11/17 धाय 341/323/509/34 मा० द० वि० में पुराने बातों को लेकर भापीर करना तथा जर्जी कर देने की लेकर झग पत्र में तनाव है</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति शुद्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति शुद्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 22-12-17 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	
22-01-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल की। दिनांक 08-01-18 को शर्तें।</p>	

22/12/17

दिनांक

02-07-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अनुपस्थित दिनांक पत्र क्रमांक 02, 03 उपस्थित
अन्य अधिवक्ता धरती। अक्सर वाद में
6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी
है अर्थात् वाद कालबाधि-ही गया है।
अतः वाद में अभिलेख की कारवाही
बन्द की जाती है।

१
2/7/18